न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 12 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. करनाराम पुत्र भैराराम 2. आलाराम पुत्र भैराराम जाति सुथार निवासी माडपुरा पुराना गांव तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. खेमाराम पुत्र लाभूराम 2. नानकाराम पुत्र लाभूराम 3. भंवराराम पुत्र लाभूराम 4. मोहनराम पुत्र लाभूराम 5. श्रवणकुमार पुत्र लाभूराम 6. कसुम्बीदेवी पत्नी लाभूराम जाति जाट निवासी माडपुरा पुराना गांव तहसील बायतु जिला बाड़मेर 7. हीराराम पुत्र लच्छाराम जाति जाट निवासी माडपुरा पुराना गांव तहसील बायतु जिला बाड़मेर 8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कवास 9. श्रीमान तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 407 / 2020 बअनवान खेमाराम वगैरा बनाम आलाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी, श्री रिणछाराम सियाग रेस्पोडेण्ट संख्या 01,02 व 04 से 06 की ओर से।
3. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—14.02.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 06 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा माडपुरा पुराना गांव पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 360 रकबा 10.8163 हैक्टयर अवस्थित है। विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

363 रकबा 19.3836 हैक्टयर मौजा माडपुरा पुराना गांव में से होकर रास्ता प्राप्त करने हेतु हस्तगत आवेदन पेश किया गया। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश से अपीलांटगण की खातेदारी भूमि को दो भागों में विभक्त किया गया है। अपीलाधीन आदेश से जिस स्थान पर रास्ता प्रस्तावित किया गया उस स्थान पर पूर्व में कभी भी रास्ता नहीं था। अपीलांटगण अपने खेत खसरा संख्या 363 के एक सेढे पर रास्ता निकालने हेतु निःशुल्क भूमि देने हेतु तत्पर है जबकि उतरदाता संख्या 01 से 06 अपीलांटगण की भूमि के मध्य में से सड़क निकालना चाहते है जो कतई विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष के नाम से सम्मन जारी किये गये जिस पर अपीलांटगण की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अरसा 10 दिन पूर्व प्रार्थीगण ने मौके पर आकर अपीलांटगण के खेत में से जबरन रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत हुऐ जिस पर अपीलांटगण ने मना किया तो उत्तरदातागण ने धमकी दी कि हमने आपके खेत मे से रास्ता निकाल लिया है तथा अब मौके पर रास्ता निकालेगें जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त आदेश की दिनांक 16.01.2023 को नकले प्राप्त की तो सम्पूर्ण तथ्यों की जाकनकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाई गई। मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त अपीलांटगण के नाम से जारी सम्न्नों पर अपीलांटगण स्वयं द्वारा सम्यक तामील करवाई उसके बावजूद भी मातहत अदालत में अपीलांटगण जानबझुकर उपस्थिति नहीं हुए। उसके उपरांत भी हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 407/2020 बअनवान खेमाराम वगैरा बनाम आलाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रविष्टा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर